फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :– श्री रामूबाई वगैरह
विपक्षी :–. श्री नारायण वगैरह
किस्म मुकदमा :–88-188 R.T.A.
पत्रावली संख्या :– 263/17 (वाद पत्र)
GCMS NO : 2017/00476

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 18.03.2025– पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण उपस्थित। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 एवं प्रतिवादी संख्या 2 स्वयं को निरन्तर आवाजे दिलवाई गई। अनुपस्थित है। चुंकि प्रकरण में अधिवक्ता वादी द्वारा दिनांक 12.04.2019 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. प्रस्तुत किया गया था। परन्तु अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 को पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात भी जवाब प्रस्तुत नही किये जाने से जवाब का अवसर बंद किया गया। पत्रावली में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. दिनांक 12.04.2019 से विचाराधीन है अर्थात लगभग 6 वर्ष से विचाराधीन है। इससे प्रतित होता है कि प्रतिवादी संख्या 2 प्रकरण में गंभीर भी नही है तथा आज दिनांक को न्यायालय में उपस्थित भी नही तथा ना ही प्रतिवादी संख्या 2 को अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित है। ऐसे में अधिवक्ता प्रार्थी की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. पर एकतरफा बहस सुनी गई।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी/वादी का कथन है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण के पिता के नाम दर्ज थी जो विरासत से वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के नाम हिस्सा बराबर से दर्ज हुई। परन्तु वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नही होने से वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत किया। जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जवाब प्रस्तुत करते हुए वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 विरूद्ध काउण्टर वाद प्रस्तुत किया और वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 खातेदार के वारिसान है केवल मात्र राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज नही होने से उनके विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा वाद प्रस्तुत करने का अधिकार प्रतिवादी संख्या 2 को नही है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादीगण ने यह वाद यह कथन करते हुए प्रस्तुत किया है कि वादग्रस्त भूमि उनके पिता के नाम दर्ज थी। परन्तु पिता के निधन के पश्चात केवल प्रतिवादी संख्या 1, 2 के नाम ही दर्ज हुई। इसी वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा काउण्टर क्लेम प्रस्तुत कर स्थाई निषेधाज्ञा चाही गई। चूंकि वादग्रस्त भूमि के संबंध में हिस्से संबंधी विवाद है। जिसके संबंध में वाद विचाराधीन है। उक्त वाद में गुणावगुण पर वादीगण का हिस्सा है या नही? के संबंध निर्णय पारित नही हो जाता है तब तक वादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का वाद चलाने का कोई औचित्य नही है। साथ ही प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा सहखातेदार प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध भी स्थाई निषेधाज्ञा चाही गई है। सहखातेदार के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा वाद नही चल सकता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. स्वीकार योग्य पाया जाता है।

–: निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. :–

प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. का स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत काउण्टर वाद खारिज किया जाता है। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

प्रतिवादी संख्या 2 को सूचना पत्र जारी किया जावे। मिसली वास्ते तलबी 2 एवं कायमी तनकीयात दिनांक 22.04.2025 को पेश हो।

(रमेश सीरवी पुनाडिया) R.A.S.
सहायक कलक्टर (एसडीओ) मावली
जिला उदयपुर

सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 12:29:54 IST
Reason: SelfAttested

T.P.

29/4/25
वकील वादी/प्रतिवादी उप. तलवीन 2 / काश्मी तनकीयात के लिये मौका चाहते है। अत: एक अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 17/6/25 को पेश हो।

(SDO) मावली

17/06/25

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण मय वादीगण अनुपस्थित। अधिवक्ता वादीगण मय स्वयं वादीगण को बार-बार आवाजे दिलवाई गई। समय साँय 5:00 PM हो चुके हैं। अधिवक्ता वादीगण मय वादीगण अब तक अनुपस्थित हैं। अत: अधिवक्ता वादीगण मय वादीगण अनुपस्थित रहने पर वादीगण का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) मावली • जिला-उदयपुर (राज.) •

सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 12:29:54 IST
Reason: SelfAttested